



न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-2  
कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
[www.jda.urban.rajasthan.gov.in](http://www.jda.urban.rajasthan.gov.in)

क्रमांक: जविप्रा/जोन-2/2022/डी- 2137

दिनांक 3-11-22

आम सूचना

ग्राम बीड सरकारी तहसील जयपुर के खसरा नं. 160, 161, एवं 166 अवाप्तशुदा भूमि है। उक्त भूमि वर्तमान में राजकीय भूमि है जो जविप्रा के नाम दर्ज है। उक्त भूमि पर शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना जमुना कॉलोनी बसी हुई है। जमुना कॉलोनी विकास मंच ने सदस्यता सूची प्रस्तुत कर जमुना कॉलोनी के नियमन हेतु निवेदन किया है, उक्तानुसार नियमन संबंधी कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है

उक्त खसरा नम्बरान के नियमन किये जाने के सम्बन्ध में आम सूचना प्रकाशित की जाकर खासों आम को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति, हितधारी, संस्था को कोई आपत्ति हो तो अद्योहस्ताक्षरकर्ता को इस सूचना के प्रकाशित होने के 7 दिवस में प्रस्तुत कर देवे। नियत अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर बाद मियाद नियमानुसार नियमन संबंधी कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि :-

- ✓ उप निदेशक (सूचना एवं जन सम्पर्क), जविप्रा, जयपुर को उक्त सूची का दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराये जाने हेतु प्रेषित है।

  
उपायुक्त, जोन-2  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

  
उपायुक्त, जोन-2  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

2137  
7/11/22



क्रमांक: जविप्रा/जोन-2/2022/डी- 2140

दिनांक 3-11-22

आम सूचना

ग्राम परसरामपुरा तहसील जयपुर के खसरा नं. 38, 51 व 52 अवाप्तशुदा भूमि है। उक्त भूमि वर्तमान में राजकीय भूमि है जो जविप्रा की नाम दर्ज है। उक्त भूमि पर गुलाबबाडी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना पूर्णियाँ कॉलोनी बसी हुई है। उक्त राजकीय भूमि पर सृजित पूर्णियाँ कॉलोनी के निवासियों द्वारा गुलाबबाडी गृह निर्माण सहकारी समिति ने सदस्यता सूची प्रस्तुत कर नियमन हेतु निवेदन किया है, उक्तानुसार नियमन संबंधी कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। सदस्यता सूची निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	नाम भूखण्डधारी	भूखण्ड संख्या
1.	श्री महादेव पूर्णियाँ पुत्र श्री पी. रामलाल	1
2.	श्री शिव प्रसाद पुत्र श्री हपमाना राम	2
3.	श्री विक्रम पूर्णियाँ पुत्र महादेव पूर्णियाँ	3
4.	श्री अनिल कुमार विश्णोई पुत्र श्री भागीरथ राय विश्णोई	4
5.	श्री सुनील कुमार विश्णोई पुत्र श्री भागीरथ राय विश्णोई	5
6.	श्री भागीरथ राय विश्णोई पुत्र श्री राम प्रताप राय विश्णोई	6
7.	श्रीमती विजय लक्ष्मी पत्नी श्री सुनील विश्णोई	7
8.	श्री कुमारी सरीता पुत्री श्री भागीरथ राय विश्णोई	8
9.	श्रीमती लादू देवी पत्नी श्री रामलाल	9
10.	श्रीमती कौशल्या पत्नी महादेव प्रसाद	10

उक्त भूखंडों के नियमन संबंधी कार्यवाही करने के संबंध में किसी भी व्यक्ति, हितधारी, संस्था आदि को कोई आपत्ति हो तो अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष इस सूचना के प्रकाशित होने के 7 दिवस में प्रस्तुत कर दें अन्यथा बाद मियाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी प्रकाशित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर नियमानुसार उक्त भूखंडों के नियमन संबंधी कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-02  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि : उप निदेशक (सूचना एवं जन सम्पर्क), जविप्रा, जयपुर को उक्त सूची का दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराये जाने हेतु प्रेषित है।

उपायुक्त जोन-02  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

17/11/22



न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-2  
कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
[www.jda.urban.rajasthan.gov.in](http://www.jda.urban.rajasthan.gov.in)

क्रमांक: जविप्रा/जोन-2/2022/डी- 2138

दिनांक 3.11.22

आम सूचना

ग्राम बीड सरकारी तहसील जयपुर के खसरा नं. 160, 161, एवं 166 अवाप्तशुदा भूमि है। उक्त भूमि वर्तमान में राजकीय भूमि है जो जविप्रा के नाम दर्ज है। उक्त भूमि पर शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना जमुना कॉलोनी विस्तार बसी हुई है। उक्त राजकीय भूमि पर सृजित जमुना कॉलोनी विस्तार के निवासियों द्वारा जमुना कॉलोनी विकास मंच ने सदस्यता सूची प्रस्तुत कर नियमन हेतु निवेदन किया है, उक्तानुसार नियमन संबंधी कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। सदस्यता सूची निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	नाम भूखण्डधारी	भूखण्ड संख्या
1.	श्री गिरवर सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह	27
2.	श्री मनोहर सिंह पुत्र श्री अमर सिंह	27ए
3.	श्रीमती निर्मला काबरा पत्नी श्री नारायण प्रसाद काबरा	26
4.	श्री सत्यनारायण अग्रवाल पुत्र श्री दुर्गालाल अग्रवाल	24, 25
5.	श्री गजानंद अग्रवाल पुत्र श्री प्रभूदयाल अग्रवाल	23
6.	श्री भवानी सिंह पुत्र श्री विजय सिंह	23ए
7.	श्रीमती सरोज देवी पत्नी श्री शिम्भूदयाल शर्मा	23ए ext
8.	श्री सतीश कुमार शर्मा पुत्र श्री महेश प्रसाद शर्मा श्री पवन कुमार शर्मा पुत्र श्री महेश प्रसाद शर्मा	11
9.	श्री बजरंग लाल शर्मा पुत्र श्री महेश प्रसाद शर्मा श्री राकेश शर्मा पुत्र श्री महेश प्रसाद शर्मा	11ए
10.	श्री दिलीप सिंह राठौर श्री किशोर सिंह राठौर	10ए
11.	श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्री प्रमोद सिंह भदौरिया	16
12.	श्री रोहिताश कुमार शर्मा पुत्र श्री मांगीलाल शर्मा	19, 20
13.	श्री रामसहाय यादव पुत्र श्री रामदेव यादव	18
14.	मंदिर बीड के बालाजी	
15.	श्रीमती सरोज कंवर पत्नी श्री रामसिंह	16ए
16.	श्री राजपाल सिंह, रामविर सिंह, सोहनपाल सिंह पुत्र श्री अकबर सिंह	15
17.	ट्रेडिशनल गैलेशी प्रा.लि जरिये निदेशक श्री दिनेश गोयल	8ए

उक्त भूखंडों के नियमन संबंधी कार्यवाही करने के संबंध में किसी भी व्यक्ति, हितधारी, संस्था आदि को कोई आपत्ति हो तो अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष इस सूचना के प्रकाशित होने के 7 दिवस में प्रस्तुत कर दें अन्यथा बाद मियाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी प्रकाशित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर नियमानुसार उक्त भूखंडों के नियमन संबंधी कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-02  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि : उप निदेशक (सूचना एवं जन सम्पर्क), जविप्रा, जयपुर को उक्त सूची का दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराये जाने हेतु प्रेषित है।

उपायुक्त जोन-02  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-2  
कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
[www.jda.urban.rajasthan.gov.in](http://www.jda.urban.rajasthan.gov.in)

क्रमांक: जविप्रा/जोन-2/2022/डी- २१३७

दिनांक 3-11-22

आम सूचना

ग्राम परसरामपुरा तहसील जयपुर के खसरा नं. 38, 51 व 52 अवाप्तशुदा भूमि है। उक्त भूमि वर्तमान में राजकीय भूमि है जो जविप्रा के नाम दर्ज है। उक्त भूमि पर गुलाबबाडी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना पूर्णियाँ कॉलोनी बसी हुई है। गुलाबबाडी गृह निर्माण सहकारी समिति ने सदस्यता सूची प्रस्तुत कर पूर्णियाँ कॉलोनी के नियमन हेतु निवेदन किया है, उक्तानुसार नियमन संबंधी कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है

उक्त खसरा नम्बरान के नियमन किये जाने के सम्बन्ध में आम सूचना प्रकाशित की जाकर खासो-आम को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति, हितधारी, संस्था को कोई आपत्ति हो तो अद्योहस्ताक्षरकर्ता को इस सूचना के प्रकाशित होने के 7 दिवस में प्रस्तुत कर देवे। नियत अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर बाद मियाद नियमानुसार नियमन संबंधी कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।


प्रतिलिपि :-

1. उप निदेशक (सूचना एवं जन सम्पर्क), जविप्रा, जयपुर को उक्त सूची का दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराये जाने हेतु प्रेषित है।

उपायुक्त जोन-02  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपायुक्त जोन-02  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

PRO  
7/11/22



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

## आम सूचना

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजडीडधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल व.ग.	ग.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके के लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री बिहारी लाल पुत्र श्री मोहन लाल, श्री राधा किशन पुत्र श्री मोहन लाल एवं श्री गिरधारी लाल पुत्र श्री मोहन लाल	श्री मोहन लाल पुत्र श्री चौथमल	07	400.00	दी फोरेस्ट व्यू हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसायटी लि.	नागौर नगर	लीजडीड	आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयतनामा

  
उपायुक्त

पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम),  
जविप्रा, जयपुरा

जन संपर्क अधिकारी

जविप्रा, जयपुरा


यू.ओ.नोट क्रमांक: जविप्रा/उपा. पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम) /2022/डी- 2486 दिनांक 03/11/2022

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)

E:\arvind\VIGYAPTI JOINT 2022.docx



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

[www.jda.urban.rajasthan.gov.in](http://www.jda.urban.rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-जविप्रा/उपा./जोन-09/2022/डी- 6182

दिनांक:- 4/11/22

## सार्वजनिक सूचना

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के नाम हस्तान्तरण एवं फ्रीहोल्ड लीजडीड हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.ग.)	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	307	233.33	निजी खातेदारी योजना श्री राम विहार	श्रीमती गिरिजा गुप्ता पत्नी स्व. श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता	श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री हरि प्रसाद गुप्ता	मृत्यु प्रमाण पत्र, रजिस्टर्ड हक्याग पत्र एवं शपथ पत्र के आधार पर

उपायुक्त, जोन-9  
जयपुर  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का करारें।

उपायुक्त, जोन-9  
जयपुर  
जविप्रा, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक : जविप्रा/जोन-06/उपा./डी-5660

दिनांक..... 09-11-22

जन सम्पर्क अधिकारी,  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।

विषय :- धारा 90ए के अन्तर्गत लोक सूचना का प्रकाशन करवाये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि धारा 90ए के अन्तर्गत संलग्न लोक सूचना का प्रकाशन करवाकर प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करवाने का श्रम करावे।

संलग्न : लोक सूचना विज्ञप्ति।

  
उपायुक्त जोन-06,  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर

**जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर**  
**इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर**  
**प्रारूप 13**  
**{नियम 13(2) देखिए}**

**राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत**

संख्या.....**3660**.....

दिनांक.....**4-11-22**.....

**लोक सूचना**

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण दी जयपुर वाल्मिकी गृ.नि.स.स की योजना दाधीच नगर के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।


अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा	स्वामित्व
महापुरा उर्फ कुकरखेड़ा, जयपुर	27/158	0.1518 हैक्टयेर	जयकृष्ण पुत्र कन्हैयालाल हि. पूर्ण जाति ब्राह्मण, रामचन्द्र जी का मंदिर, चांदपोल बाजार, जयपुर।
	26/163	0.1518 हैक्टयेर	राधेश्याम पुत्र श्री कन्हैयालाल हि. पूर्ण जाति ब्रा0 रामचन्द्र जी का मंदिर, चांदपोल बाजार, जयपुर।

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस मे कमरा न. 204, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय मे कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक.....**4-11-22**.....को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

  
प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त  
जोन-06 जविप्रा, जयपुर।  
उपायुक्त जान - 8  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./ जोन-4/2022/डी-2473

दिनांक 7-11-2022

## विज्ञप्ति / सूचना

आवेदक द्वारा दस्तावेजात प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड का लीजहोल्ड (पट्टा विलेख) जारी करने हेतु ऑफलाईन आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/ हितकारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में लीजहोल्ड (पट्टा विलेख) जारी करने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	खसरा नं.	ग्राम व तहसील	आवेदक/आवेदिका का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	119 व 121	ग्राम सवाई गेटोर, (छत्रसाल नगर स्थित) तहसील-सांगानेर, जयपुर	श्री जगदीश, बालूराम, रामजीलाल पुत्रान स्व. श्री गोपाल मीना	स्वयं की खातेदारी भूमि व स्वामित्व जमाबंदी व मौके पर पुराना निर्माण के आधार पर।

EO  
उपायुक्त जोन-4  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपी:-

- जन सम्पर्क, अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करवाते हुये प्रकाशन की एक प्रति अद्योहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवाने का श्रम करावे।

21.  
उपायुक्त जोन-4  
उपायुक्त जोन-4,  
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - 0141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई-मेल : dc.zone04@jaipurjda.org